दिनांकः– 14.12.2017 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की प्रथम बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः–

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्रीमती वीणा मिश्रा, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
5. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
6. डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
7. श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
8. डॉ0 रमेश शरण, कुलपति, विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
9. श्री ए0 अहमद, एस0पी0ओ0, जेवियर्स इंस्टिच्यूट ऑफ सोशल सर्विस।
10. श्री अरविन्द डे, ए0पी0ओ0, जेवियर्स इंस्टिच्यूट ऑफ सोशल सर्विस।
11. डॉ0 अजय सिंह, हेड **CWEM**, केन्द्रिय विश्वविद्यालय ब्रांबे रोड, राँची।
12. श्री मनीष कुमार, **CMD**, डायनामिक तरंग, कांके रोड, राँची।
13. श्री अशर्फी नन्द प्रसाद, **ANANYA**, भोजन का अधिकार, अशोक नगर, राँची।
14. कुमार काल्यायनी, राज्य समन्वयक, प्रथम एजुकेशन फॉन्डेशन, हरमू हाऊसिंग कॉलोनी, राँची।
15. श्री अनिल नारायण सिंह, अध्यक्ष, पूर्वा, कडरु, राँची।
16. श्री निखिलेश मैवी, निदेशक प्रभारी, विकास भारती, बरियातु, राँची।

बैठक में निम्न अधिकारी एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि अनुपस्थित थेः–

1. निदेशक प्रमुख, राजकोषीय अध्ययन संस्थान, डोरण्डा, राँची।
2. कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
3. प्रदान, अशोक नगर, राँची।
4. कुलपति, सिद्धो कान्हो विश्वविद्यालय, दुमका।
5. कुलपति, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।
6. कुलपति, नीलांबर पितांबर विश्वविद्यालय, डाल्टेनगंज (पलामू)।

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं संस्थाओं से राज्य खाद्य आयोग का परिचय कराया गया।

1. अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग ने खाद्य आयोग के गठन एवं इसकी भूमिका के बारे में जानकारी देते हुए उसके विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला।

   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमः– 2013 की धाराः– 16 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग का गठन हुआ है। राज्य खाद्य आयोग का अन्य कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य हैंः–

   (क) राज्य के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन् की जाँच–पड़ताल करना और उसका मूल्यांकन करना।

   (ख) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन् के लिये राज्य सरकार को सलाह देना।

उक्त दोनों कार्यों में यह आवश्यक है कि आयोग विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन करवाए। मूल्यांकन कार्य में शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद लेनी है। इसी उद्देश्य से यह पहली बैठक बुलाई गई है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धाराः– 3,4,5,6 एवं 7 के अनुसार निम्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं इसमें गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव राज्य सरकार को देना हैः–

(क) जन वितरण प्रणाली
(ख) आँगनबाड़ी से संबंधित कार्यक्रम
(ग) मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्यक्रम

<u>कुपोषणः–</u>

2. बैठक में बताया गया कि राज्य में कुपोषण की स्थिति खराब है।

   पूरे देश में इस मामले में झारखण्ड (29%) सबसे खराब है। नए राज्य में छत्तीसगढ **(23.1%)** एवं उत्तराखण्ड **(19.5%)** की स्थिति कहीं अच्छी है। बिहार **(20.8%)** की स्थिति भी झारखण्ड से अच्छी है।

   राज्य के 5 जिले बोकारो **(36.9%)**, पश्चिमी सिंहभूम **(37.5%)** पूर्वी सिंहभूम **(46.5%)** दुमका **(41.4%)** एवं खूँटी **(43%)** है, जबकि राज्य औसत **29%** है। अच्छे जिलों में कोडरमा **(20%)**, सरायकेला **(23.3%)**, देवघर **(23.8%)**, पलामू **(23.8%)** एवं गिरिडीह **(23.6%)** है।

   विभिन्न जिलों के कुपोषण के आंकड़े भी उपलब्ध करवाए गए। मूल्यांकन इसी आंकड़े को ध्यान में रख कार्य करना है।

3. डॉ0 रमेश शरण, कुलपति, विनोवा भावे विश्वविद्यालय, ने बताया कि उनके द्वारा आदिम जनजातियों एवं अंत्योदय परिवारों के लिए विस्तृत अध्ययन किया गया है।
   उनसे अनुरोध किया गया है कि इस अध्ययन को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव आयोग को दें।
4. बैठक के लिए संस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु **10** विषय – वस्तु भी हैं। वे केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। अन्य विषयों पर भी कार्य किये जा सकते हैं।
5. श्री मनीष कुमार, CMD, डायनामिक तरंग के द्वारा बताया गया कि **M.D.M** में और सुधार करने की आवश्यकता है।
6. विकास भारती के प्रतिनिधि श्री निखिलेश मैवी के द्वारा प्रश्न किया गया कि जो **District select** हुए है, इस पर कैसे काम किया जाएगा ?
   इस पर अध्यक्ष, खाद्य आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया कि आप हमें **Proposal** दें, इस पर काम किया जाएगा।
7. श्री हलधर महतो, सदस्य, खाद्य आयोग के द्वारा कहा गया कि सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वें **Agenda** को देख कर अपना **Proposal** दें।
8. **XISS** के प्रतिनिधि श्री ए0 अहमद के द्वारा बताया गया कि इसके लिए एक **Proposal** बना कर दिया जाएगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस **District** का **Development Below, Average** या **High** हो तो उसका **Sample** बनाया जाय।
9. भोजन का अधिकार के प्रतिनिधि के द्वारा सुझाव दिया गया कि हमलोग **12 District** में **Sampling** किया **NFSA** के द्वारा जो प्रावधान है, उसे देखते हुए हमलोग **Idea Share** करना चाहते हैं।
   इस पर अध्यक्ष, खाद्य आयोग के द्वारा **31.12.17** तक प्रतिवेदन की मांग की गई।
10. श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बताया गया कि Public को सब्सिडी का पैसा उनके **Account** में दिया जाता है तथा संबंधित दुकानदारों को **Tag** कर दिया जाता है। **Public** को संबंधित दुकानदारों के पास से ही अनाज खरीदना होता है। किसी संस्था द्वारा इस पर भी अध्ययन किया जा सकता है।

11. भोजन का अधिकार के प्रतिनिधि श्री अशर्फी नन्द प्रसाद ने बताया कि **DBT** एवं आदिम जनजातियों का सर्वे किया गया, इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। लाभुकों तक पैसा नहीं पहुँच पाता है, और पैसा आता भी है तो उन्हें पता नहीं चलता है।
12. श्री अशर्फी नन्द प्रसाद बताएँ कि इनमें निगरानी समितियों की भूमिका क्या होनी चाहिए। उनकी संस्था की भूमिका क्या होनी चाहिए।
13. भोजन का अधिकार के प्रतिनिधि श्री अशर्फी नन्द प्रसाद के द्वारा बताया गया कि **Right Food to Child** का काम गुमला में किया जा रहा है।
14. अध्यक्ष, खाद्य आयोग के द्वारा इनकी विवरणी **31.12.17** तक मांगा गया, साथ ही साथ समस्याओं के निदान पर भी सुझाव की मांग की गई।
15. श्री कुमार काल्यायनी, प्रथम एजुकेशन के द्वारा बताया गया कि **Diet** को भी **Internship** में **Involve** किया जाय। इस पर सहमति दी गई।
16. अध्यक्ष, खाद्य आयोग के द्वारा बताया गया कि हर पंचायत में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व मुखिया के द्वारा किया जाता है।
17. स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुरोध है कि वें पंचायत स्तर पर निगरानी समिति की बैठक समय पर कराने में सहयोग दें।
18. अध्यक्ष, खाद्य आयोग के द्वारा सभी संस्थाओं से अनुरोध किया गया कि जो प्रतिनिधि निगरानी समिति का सदस्य बनना चाहते हैं, वें अपना नाम भेजें।
19. अध्यक्ष, खाद्य आयोग के द्वारा बताया गया कि अच्छे सुझाव पर पुरस्कार दिया जायेगा।

Internship कार्यक्रमः–

20. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न संस्थाओं के इच्छुक विद्यार्थी **Internship** के लिए खाद्य आयोग भेजे जाएँ। इन्हीं **Internship** के द्वारा मूल्यांकन कार्य किये जाएँगे।
21. डॉ0 रमेश शरण, कुलपति, विनोवा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा **3 Internship** का प्रस्ताव दिया गया हैः–

    (क) **Anthrocology**

    (ख) **Economics Community**

    (ग) **Nutrition Dietistics**

22. सभी उपस्थित प्रतिभागियों से प्रस्ताव मांगा गया कि **Internship** को इसके कार्य में किस प्रकार की सुविधा छात्रों को उपलब्ध करवाई जाती है। ये सुविधा भी **Internship** करने वाले को उपलब्ध करवाई जाएगी।
23. आगामी बैठक **16 जनवरी 2018** को होगी।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 39/2017 – 143 राँची, दिनांकः– 22.12.17

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य, वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 39/2017 – 143 राँची, दिनांकः– 22.12.17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची।